न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 19/2023-24 तारीख दायर :-04.08..2023 दिनांक निर्णय :-10.10.2023

पटवारी हल्का सकट तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान। 2022/97

बनाम

मुथरी देवी पत्नी हरिनारायण जाति यादव निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम-1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का सकट द्वारा राजस्व ग्राम सकट के आराजी खसरा नम्बर 1274 रकबा 0.16 हैक्ट0 के भाग 0.04 हैक्ट0 एंव 1431 रकबा 0.06 हैक्ट0 के भाग 0.04 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.08 हैक्ट0 किस्म गै0मु0रास्ता की भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिकमण करने पर मुथरी देवी पत्नी हरिनारायण जाति यादव निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिकमण करने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवृत होकर प्राप्त हुई। नियत सुनवाई तारीख पेशी को अप्रार्थी/गैरसायल एंव गैरसायल की ओर से एडवोकेट श्री अजीत कुमार यादव उपस्थित रहे एंव नोटिस जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य-सबूत हेतु समय दिये जाने के बावजूद भी गैरसायल द्वारा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। गैरसायल की ओर से प्रस्तुत जवाब में अतिकमण नहीं करने का अंकन किया गया है एवं गैरसायल की खातेदारी आराजी एंव उक्त सिवायचक खसरा नम्बर की भूमि के मध्य सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने का भी निवेदन किया है। पत्रावली का अधोपरान्त अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अतिकमण की रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक राजपुरबड़ा व पटवारी हल्का सकट द्वारा प्रस्तुत 1है जो सही है। और जहा तक पत्थरगढी का प्रश्न है उसके सम्बंध में गैरसायल/अतिकमी पत्थरगढ़ी किये जाने के सम्बंध में सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। यह सक्षम न्यायालय नहीं है। भू0अ0निरीक्षक राजपुरबडा व पटवारी हल्का सकट की रिपोर्ट सम्वत 2080 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा गै0मु0रास्ता राजकीय सिवायचक की भूमि पर अतिकमण किया है और अतिकमी अपने जवाब में पैमाईस कर पत्थरगढी का अंकन कर अपने अतिकमण को बनाये रखना चाहता है व वाद को लम्बित रखना चाहता है। इससे राज्य सरकार को राजस्व हॉनि कारित होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है किः-

अतिक्रमी श्री मुथरी देवी पत्नी हरिनारायण जाति यादव निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम सकट के आराजी खसरा नम्बर 1274 रकबा 0.16 हैक्ट0 के भाग 0.04 हैक्ट0 एंव 1431 रकबा 0.06 हैक्ट0 के भाग 0.04 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.08 हैक्ट0 किस्म गै0मु0रास्ता सिवायचक भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1 की 50 गुणा में गु0 50.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों राजपुरबड़ा एंव पटवारी हल्का सकट को आदेश दिये जाते है कि कब्जेराज ली गई बाजरे की फसल काश्त को नीलामी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट कार्यालय में प्रेषित करावे एवं अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें।

आज दिनांक 10.10.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 46 पर पे. 50/-
राशि कायम किये गये।
(हस्ताक्षर)
त. रा. लेखाकार

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर